न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 26/2026 (GCMS : 2026/ 85)

1. **रानी देवी** पत्नी गुरा सिंह जाति कुम्हार निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. **प्रभदीप सिंह** पुत्र गुरा सिंह आयु 15 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता रानी देवी पत्नी गुरा सिंह जाति कुम्हार निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
3. **नारायण सिंह** पुत्र गुरा सिंह जाति कुम्हार निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. अजीत गोदारा, **उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), पदमपुर**
2. **गुरा सिंह** पुत्र दलीप सिह जाति कुम्हार निवासी आयलकी तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़
3. शाखा प्रबन्धक, **एसबीआई बैंक** शाखा गोलूवाला
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये **तहसीलदार, पदमपुर**

07.04.2026

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री जीतपाल सैनी उपस्थित हुए। उन्हें सुना गया। **प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया** कि उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 254/2025 व विविध प्रकरण संख्या 195/2025 अनवानी नारायण सिंह वगै. बनाम गुरा सिंह में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है, इसलिए उनका मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 254/2025 व विविध प्रकरण संख्या 195/2025 अनवानी नारायण सिंह वगै. बनाम गुरा सिंह में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब वे प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

को आगे नहीं चलाना चाहते है, अर्थात नॉट प्रेस करते है। **प्रार्थी के अधिवक्ता ने फर्दअहकाम के हाशिये पर नॉट प्रैस अंकित किया है।** अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:11:19 IST
Reason: SelfAttested